उत्तराखंड में ग्रीन सेस

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, **उत्तराखंड सरकार जल्द ही** राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाएगी।

- ग्रीन सेस एक **प्रकार का कर है** जो सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण **के उद्देश्य से लगाया जाता है।**

मुख्य बिंदु

- **उत्तराखंड में हरित उपकर की शुरूआत:**
  - यह उपकर **20 रुपए से 80 रुपए तक होगा और यह वाणिज्यिक और निजी** दोनों वाहनों पर लागू होगा।
  - दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों को **छूट दी जाएगी।**
- **कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी:**
  - **इस प्रणाली को दिसंबर 2024 के अंत तक सक्रिय करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।**
  - स्वचालित **नंबर प्लेट पहचान कैमरे** वाहनों की पहचान करेंगे और उपकर राशि सीधे वाहन मालिकों के फास्टैग **वॉलेट से काट ली जाएगी।**

फास्टैग (FASTag)

- यह एक ऐसा उपकरण है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग कर वाहन चलते समय सीधे टोल भुगतान करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिये **दो मोबाइल ऐप- माईफास्टैग और फास्टैग पार्टनर लॉन्च किये।**
- यह टैग जारी होने की तिथि से **5 वर्षों तक मान्य रहता है और यह सात विभिन्न रंगों के कोड में उपलब्ध है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/green-cess-in-uttarakhand